

राजस्थान विधान सभा

छठा सत्र

कार्य-सूची

बुधवार, दिनांक 02 मार्च, 2016

बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(क) अधिसूचनार्ये

सार्वजनिक निर्माण विभाग

1- श्री यूनुस खान, सार्वजनिक निर्माण मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या:एफ.14(26)पीडब्लू/2014/ई-40303 दिनांक 28 दिसम्बर,2015 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य उच्चमार्ग प्राधिकरण (चेयरपर्सन एवं पूर्णकालिक सदस्यों की सेवा शर्तें) नियम, 2015 विरचित किये गये हैं, सदन की मेज पर रखेंगे ।

2- श्रीमती अनिता भदेल, महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री, महिला एवं बाल विकास विभाग की निम्नांकित अधिसूचनार्ये सदन की मेज पर रखेंगी :-

महिला एवं बाल विकास विभाग

- 1- अधिसूचना संख्या : एफ.16(1)(40)/डी.डब्लू.ई./डब्लू.पी.सी./13/पार्ट-II/41063 दिनांक 7 जनवरी, 2016 जिसके द्वारा राजस्थान डायन-प्रताड़ना निवारण नियम, 2016 विरचित किये गये हैं ;
- 2- अधिसूचना संख्या : एफ.16(1)(40)/डी.डब्लू.ई./डब्लू.पी.सी./13/पार्ट-II/43044 दिनांक 22 जनवरी, 2016 जिसके द्वारा राजस्थान डायन-प्रताड़ना निवारण नियम, 2016 दिनांक 26 जनवरी, 2016 से प्रवृत्त किये गये हैं; एवं
- 3- अधिसूचना संख्या : एफ.16(1)(40)/डी.डब्लू.ई./डब्लू.पी.सी./13/पार्ट-II/26684 दिनांक 11 अगस्त, 2015 जिसके द्वारा राजस्थान डायन-प्रताड़ना निवारण अधिनियम, 2015 के उपबन्ध दिनांक 17 अगस्त, 2015 से प्रवृत्त किये गये हैं ।

(ख) वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे

1- श्री राजपाल सिंह शेखावत, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, भारत के नियंत्रक - महालेखा परीक्षक के वित्त-लेखे (खण्ड-I एवं II) वर्ष 2014-2015 एवं विनियोग लेखे वर्ष 2014-2015 सदन की मेज पर रखेंगे ।

2- श्री प्रभुलाल सैनी, कृषि मंत्री, निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे :-

- I- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-394 के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड का 37वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015;
- II- राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 54(14) के अंतर्गत राजस्थान कॉर्पोरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015 ;
- III- दी वेयर हाऊसिंग कॉरपोरेशन एक्ट, 1962 की धारा 31(2) के अंतर्गत राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 57वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015;
- IV- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-419-ए(3) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड का 44वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013;
- V- महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम, 2000 की धारा-42 के अन्तर्गत महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015 ;
- VI- स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम, 1987 की धारा - 32(4) के अन्तर्गत स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015 ;
- VII- श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर अधिनियम, 2013 की धारा-46 के अन्तर्गत श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 ;
- VIII- कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2013 की धारा-46 के अन्तर्गत कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 ; एवं
- IX- कृषि विश्वविद्यालय, कोटा अधिनियम, 2013 की धारा-46 के अन्तर्गत कृषि विश्वविद्यालय, कोटा का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016.

3- श्री गजेन्द्र सिंह, उद्योग मंत्री निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखेंगे :-

- I- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड, जयपुर का 31वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015;
- II- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड का 54वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015. एवं

- III- राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1955 की धारा-34(3) (क) के अन्तर्गत राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर का लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013 एवं 2013-2014.

3. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा, सभापति, याचिका समिति, 2015-2016 समिति के निम्न प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे :-

- I- याचिका समिति को प्राप्त याचिकाओं के संबंध में स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास विभाग से संबंधित याचिका समिति, 2015-2016 का तीसरा प्रतिवेदन ;
- II- याचिका समिति को प्राप्त याचिकाओं के संबंध में सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित याचिका समिति, 2015-2016 का चतुर्थ प्रतिवेदन ; एवं
- III- याचिका समिति को प्राप्त याचिकाओं के संबंध में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित याचिका समिति, 2015-2016 का पंचम प्रतिवेदन ।

4. याचिका का उपस्थापन

श्री जोगाराम पटेल, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र लूणी, जिला जोधपुर में पटवारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

5. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेत्तर वाद-विवाद

श्री मोहनलाल गुप्ता (वि.सं.-131), सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 01 मार्च, 2016 को प्रस्तुत निम्नांकित प्रस्ताव पर अग्रेत्तर वाद-विवाद होगा :-

"इस सत्र में एकत्रित हम, राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण, राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं ।"

पृथ्वी राज
विशिष्ट सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 01 मार्च, 2016